बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांक–　　　　/2017

सं0सं0–ह0क0 (13) योजना (प्रचार–प्रसार)–05/2016

प्रेषकः

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना ।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

*अनौपचारिक रूप से पर्रामशित

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में "राज्य के बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में कार्यशाला/सेमिनार आयोजन हेतु ₹ 50.00 लाख (पचास लाख रू0) मात्र की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के हस्तकरघा/विद्युतकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार–प्रसार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 50.00 लाख (पचास लाख रूपया) मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजना के अन्तर्गत राज्य के बुनकर बाहुल्य जिला यथा भागलपुर, गया, नालंदा, औरंगाबाद, सिवान, बांका, मधुबनी, नवादा, पटना एवं रोहतास जिलो में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पदाधिकारियों/विभागीय कर्मचारियों/विशेषज्ञों द्वारा कार्यशाला/सेमिनार के माध्यम से बुनकरों को दी जाएगी। उसके तहत प्रतिभागियों /पदाधिकारियों/विभागीय कर्मचारियों/ विशेषज्ञो एवं उसके आयोजन पर होने वाले व्यय इसी स्वीकृत राशि से की जाएगी।

3. स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103, हथकरघा उद्योग, मॉग सख्या–23, उप शीर्ष–0103 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड–**P-2851001030103** राज्य योजना स्कीम कोड–IND-**5438** के अन्तर्गत विषय शीर्ष 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन मद में वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयव्ययक में उपबंधित राशि में से ₹ 50.00 लाख (पचास लाख रूपया) मात्र विकलित होगा। जिसके लिए आय–व्ययक वर्ष 2016–17 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

4. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (संलग्न परिशिष्ट " क ") के अनुसार होंगे।

5. वित्त विभाग के पत्र सं0 को प्र0 विविध–06/2015–8599 दि0 01.10.2015 एवं 7280 दि0–14.09.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे। वे इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना को प्रेषित करेंगे एवं उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. योजना का कोड सं.–IND5438 हैं। यह राशि योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है।

8. उक्त राशि का व्यय निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना द्वारा जारी दिशा–निदेश के आलोक में की जाएगी।

9. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या–*ह0क0 (13) योजना (प्रचार–प्रसार)–05/16* के पृष्ट–30/टि0 पर दिनांक–15.03.17 को प्राप्त है।

10. इस राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– *ह0क0 (13) योजना (प्रचार–प्रसार)–05/16* के पृष्ट–32/टि0 पर दिनांक–16.03.17 को प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय पत्रांकः—7355/वि0(2), दिनांकः—05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/—
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार भागलपुर/गया/बांका/ मधुबनी/सीवान/पटना/नालन्दा/औरंगाबाद/रोहतास/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि—महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका/मधुबनी/सीवान/पटना/ नालन्दा/औरंगाबाद/रोहतास/नवादा/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

0/—

ह0/—
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 1170 पटना, दिनांक— 23/03/2017

प्रतिलिपि—वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/आय—व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा), उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा), उद्योग विभाग/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/मधुबनी/सीवान/बांका/रोहतास/नालन्दा/नवादा/औरंगाबाद/उप विकास पदा0(वस्त्र), भागलपुर/गया/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(7)

परिशिष्ट –क

बजट शीर्ष– मुख्य शीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष –103 हस्तकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उप शीर्ष –0103 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड – पी0 2851001030103, राज्य योजना स्कीम कोड– आई0एन0डी0 –5438 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–2601 विज्ञापन और प्रकाशन ।

क0 संख्या	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	जिला कोषाार का नाम	राशि (लाख में)
1	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका	बांका	8.00
2	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद	औरंगाबाद	3.00
3	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा	नवादा	3.00
4	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास	रोहतास	3.00
5	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी	मधुबनी	3.00
6	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा	नालंदा	3.00
7	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना	पटना	8.00
8	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान	सिवान	3.00
9	उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), भागलपुर	भागलपुर	8.00
10	उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), गया	गया	8.00
	कुल योग :–		**50.00** (रू0. पचास लाख मात्र)

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

23/3